



50

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक

/2019

जिला - धार

अपील-0078/2019/धार/आ/30

मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड  
बौराली, जिला - धार (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1 उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता ग्वालियर/भोपाल/इन्दौर/उज्जैन (म.प्र.)
- 2 जिला आबकारी अधिकारी जिला-धार
- 3 जिला आबकारी अधिकारी जिला हरदा शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, बुराहनपुर, मंदसौर, नीमच म.प्र.
- 4 जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड बौराली जिला-धार (म.प्र.)

-- प्रत्यर्थागण

श्री. विमलेश्वर शर्मा द्वारा आज दिनांक 14.11.19 को प्रस्तुत! प्रारम्भिक चर्क हेतु दिनांक 17.11.19 नियत।

बलके ऑफ कोर्ट/4-1-19  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

कार्यालय/न्यायालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/1794 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिब्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

What  
14/11/19

*(Signature)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 0078/2019/धारर/आ.अ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-2-2019	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अवधि विधान की धारा 5, ग्राह्यता व स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 8-8-2018 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16-1-2019 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा विलम्ब के संबंध में जो कारण बताये गये हैं, वह समाधानकारक प्रतीत नहीं होते हैं । अतः विलम्ब का कारण सद्भाविक नहीं होने से अपील ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है । न्याय दृष्टान्त 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरुद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-</p> <p>"धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह अपील प्रथम दृष्टया समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>